न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 08/2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 11.01.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023/14

कुसुम वर्मा पत्नि श्री दिलीपकुमार, उम्र—56, जाति—सोनी, निवासी—ब्यावर, तहसील—ब्यावर, जिला—अजमेर
वादीया

बनाम

1. जमना पुत्री श्री लादु उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
2. पदमा पुत्र श्री लादु, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
3. भवरू पुत्र श्री लादु, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
4. मदिना पुत्री श्री लादु, श्री लादु, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
5. मेहफुल पत्नि श्री लादु, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
6. मुमी पत्नि श्री नाथु, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
7. गोपाल पुत्र श्री पत्नि श्री नाथु, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
8. तेजा पुत्र श्री नाथु, फौत होने से उनके कायम मुकाम :—
   - 8.1 शान्ति पत्नि श्री तेजा, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
   - 8.2 सुरेश पुत्र श्री तेजा, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
   - 8.3 विजय पुत्र श्री तेजा, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
   - 8.4 मेना पुत्री श्री तेजा, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
   - 8.5 पुजा पुत्री श्री तेजा, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
9. पप्पु पुत्र श्री नाथु, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात,
10. वीरमा श्री नाथु, उम्र—व्यस्क, जाति—मेहरात, समस्त प्रतिवादीगण निवासीगण सराधना तहसील रायपुर जिला पाली राज.
11. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर,

श्री भागीरथ तेली पुत्र बाबूलाल जाति तेली निवासी बर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 92ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 19.05.2025

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बावत् बंटवाड़ा एवं
स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 92ए एवं 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण
न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है सरहद मौजा सराधना, पटवार हल्का
अमरपुरा, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र सेन्दडा, तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की जमाबन्दी सवत्
2074–2077 के खाता सं. 148 खसरा सं. 46 रक्वा 0.0982 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल तथा खाता सं. 60
सरा सं. 47 रक्वा 0.1254 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल शामलाती खातेदारी भुमि आई हुई है। उपरोक्त
र्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा
दपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2074–2077, नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति तथा नजरी नक्शा पेश किया जा
रहा हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त वर्णीत सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात
वादीया की खरीद सुदा खातेदारी भुमि है जिस पर वादीया खरीद दिनांक से मौके पर काबिज होकर काश्त
कर रहै। है। राजस्व रेकर्ड अनुसार खाता सं. 148 मे वादीया मे 1/2 हिस्सा बनता है। एवं प्रतिवादी सं.
1 से लगायत 5 का शामलाती 1/10 वा हिस्सा बनता है। तथा खाता सं. 60 मे वादीया का 2/3 हिस्सा
बनता है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 10 का शामलाती 1/3 हिस्सा बनता है एवं मौके पर वादीया
एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मोके पर नजरी नक्शा अनुसार मोखिक
बटवाडा होकर भुमि मौक पर बॅटी हुई है एवं मौके पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त कब्जा वादीया के
खरीद दिनाक से चला आ रहा है। जो बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है। खाता सं. 148 मे वादीया
एवं प्रतिवादीगण 1 से लगायत 5 तक तथा खाता सं. 60 मे वादीया एंव प्रतिवादीगण 1 से लगायत 10 तक
सहखातेदार है। उक्त भुमि पर वादीया का कब्जा अपने खातेदारी हक तक नजरी नक्शे अनुसार मोके पर
चला आ रहा है। शेष खातेदारों का अपने हिस्से अनुसार एवं नजरी नक्शे अनुसार मौके पर कब्जा काश्त
कर रहे है। खाता सं. 148 मे वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 से लगायत 5 तक तथा खाता सं. 60 मे वादीया
एंव प्रतिवादीगण 1 से लगायत 10 तक की सम्पुर्ण भुमि एक खाते के रूप मे शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेस
में भी सम्पुर्ण भुमि एक जोत दर्शाई गयी है नजरी नक्शे व मोके के कब्जे व काश्त के आधार पर राजस्व
रेकर्ड मे अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। खाता सं. 148 मे आई भुमि मे वादीया का लाल रंग दर्शाया
हुआ हैं एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 5 की भुमि को नीले रंग से दर्शाया हुआ हैं तथा खाता सं. 60 मे
आई भुमि मे वादीया का लाल रंग दर्शाया हुआ हैं एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 5 की भुमि को नीले रंग

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(ब्यावर)

से दर्शाया हुआ हैं तथा प्रतिवादीगण सं. 6 से 10 की भुमि को हरे रंग से दर्शाया हुआ है। खाता सं. 60 मे प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 10 के द्वारा अपने हिस्से के आगे वाली फन्ट मे दुकाने बना रखी है। एवं जो फन्ट खाली पडी है वो भुमि वादीया की है। वादीया एवं प्रतिवादीगण मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण ऋण लेने मे, कृषि कनेक्शन लेने मे, उपजाउ बनाने मे, अन्य सरकारी लाभ लेने के लिए भारी समस्या का सामना करना पडता है। एवं कब्जे अनुसार अपनी पालडोल को लेकर आए–दिन झगडा–फसाद होते रहते हैं। इसलिये वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। 19/09/2021 को वादीया द्वारा अपनी हक हिस्से कि भुमि के चारदिवारी करने हेतु नींव खुदवाई जा रही थी तब मौक पर वादीया एवं प्रतिवादीगण मे विवाद हो गया जिस कारण पुलिश थाना मे रिर्पोट भी दर्ज करवायी गयी एंव उस समय वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य बॅटवाडा करने हेतु राजीनामा हुआ एवं 500/– के स्टाम्प पर बॅटवाडा लिखा गया जिसकी फौटो प्रति संलग्न है। एवं उक्त विवाद से पुर्व तथा विवाद के पश्चात् वादीया अपने हक हिस्से पर काबिज चली आ रही है जो नजरी नक्शे मे लाल रंग से दिखाया गया है। दिनाक 15/12/2022 को खेत की माठ को लेकर प्रतिवादीगण एवं वादीया मे पुनः आपसी मतभेद हो गया। जिस पर वादीया ने प्रतिवादीगण को पुर्व मे हुए आपसी राजीनामा अनुसार बटॅवाडा करने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण नें दिनांक 18/12/2022 को बटवॉडा करने से मना कर जिससे वाद का कारण उत्पन्न हुआ एवं वादीया ज्यादा विवाद से बचने के लिए वाद लाना हि उचित रास्ता होने से वाद का कारण उत्पन्न हुआ। इसलिए उक्त वाद पत्र बॅटवाडा का पेश किया जा रहा है। वादीया ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 से निवेदन किया कि वादपत्र के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी को अपने–अपने हिस्से अनुसार बॅटवारा करवा लेवें, लेकिन प्रतिवादीगण वादीया की खाद डाल कर उपजाउ बनाई कृषि भुमि मे एवं हाइवे पर रिथति होने सें नाजायज कब्जा करने की बदनियती रखते हैं। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 वादीया के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर वादग्रस्त आराजी मे वादीया की उपजाउ आराजी मे से वादीया को बेदखल करने पर आमादा रहते है। वादी के बार–बार बॅटवारा करने की बात कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मानने के पश्चात् मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादीया अपनी भुमि को नजरी नक्शे अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण पेश है। तकास्मा आराजी वादीया अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भुमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है एवं वादीया ने जरिये रजिस्ट्री खरीद कर अपना कब्जा भी कर लिया है व प्रतिवादीगण को वादीया के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भुमि में किसी प्रकार की दखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीया को अपुर्णीय क्षति होगी प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीया को बार बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी आफॅ प्रोसिडिंग्स होगी, इसलिए वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्व मौके पर कब्जे अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकास्मा कर नक्शा तरमीम करवा कर खातेदारी अलग–अलग अपने–अपने हिस्से अनुसार, लगान अलग करवाने के लिये बॅटवाडा धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रहा है। खाता सं. 148 मे वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 से लगायत 5 तक तथा खाता सं. 60 मे वादीया एंव प्रतिवादीगण 1 से लगायत 10 तक वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। एवं प्रतिवादीगण सं. 11 राजस्थान सरकार जरिये भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं जिनको कि वाद दायरी से पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादीया के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और प्रतिवादीगण वादीया की आराजियात को बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीया को वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। सरहद मौजा सराधना, पटवार हल्का अमरपुरा, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र सेन्दडा, तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की जमाबन्दी सवत् 2074–2077 के खाता सं. 148 खसरा सं. 46 रक्बा 0.0982 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल तथा खाता सं. 60 खसरा सं. 47 रक्बा 0.1254 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल शामलाती खातेदारी भुमि आई हुई है। खाता सं. 148 मे वादीया मे 1/2 हिस्सा बनता है। एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 5 का शामलाती 1/10 वा हिस्सा बनता है। तथा खाता सं. 60 मे वादीया का 2/3 हिस्सा बनता है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 10 का शामलाती 1/3 हिस्सा बनता है। विवादित भुमि पर वादीया रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है जो मौके पर भी बंटी हुई है वादी के कब्जे व नजरी नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादीया एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि नजरी नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बटवाडा किया जाकर अलग अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे मे बटा नम्बर लगाकर अलग दर्शाई जावे, लगान बांटा जावे एवं लट्टे नक्शे मे तरमीम की जावे व नजरी नक्शे अनुसार तकास्मा आराजी की डिक्रि बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावें । वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजूदर, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादीया के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काश्त आदि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अडचन उत्पन्न करे,

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

और ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हो।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वादपत्र पर साक्ष्यवादी पेश नही करना चाहते है एवं बहस करना चाहते हैं। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने माफिक रेकर्ड एवं मौके अनुसार कब्जा अनुसार बन्टवाडा वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिक्री जारी करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक मौके अनुसार बन्टवाडा वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये।

प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/ 2025/323 दिनांक 15.02.2024 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं।जो संलग्न पत्रावली किया गया। संशोधित शीर्षक पेश हुआ है जो संलग्न पत्रावली किया गया।

वादी अधिवक्ता ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया हैं इस पर बहस समायत की गई। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा सराधना, पटवार हल्का अमरपुरा, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र सेन्दडा के खसरा सं. 46 रकबा 0.0982 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल तथा खसरा सं. 47 रकवा 0.1254 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा वनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,बमुकाम – रायपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

कुसुम वर्मा पत्नि श्री दिलीपकुमार, उम्र–50, जाति–सोनी, निवासी–ब्यावर, तहसील–ब्यावर, जिला–अजमेर

वादीया

बनाम

1. जमना पुत्री श्री लादु उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
2. पदमा पुत्र श्री लादु, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
3. भवरू पुत्र श्री लादु, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
4. मदिना पुत्री श्री लादु, श्री लादु, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
5. मेहफुल पत्नि श्री लादु, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
6. मुन्नी पत्नि श्री नाथु, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
7. गोपाल पुत्र श्री पत्नि श्री नाथु, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
8. तेजा पुत्र श्री नाथु, फौत होने से उनके कायम मुकाम :–
   - 8.1 शान्ति पत्नि श्री तेजा, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
   - 8.2 सुरेश पुत्र श्री तेजा, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
   - 8.3 विजय पुत्र श्री तेजा, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
   - 8.4 मेना पुत्री श्री तेजा, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
   - 8.5 पुजा पुत्री श्री तेजा, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
9. पप्पु पुत्र श्री नाथु, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात,
10. वीरमा श्री नाथु, उम्र–व्यस्क, जाति–मेहरात, समस्त प्रतिवादीगण निवासीगण सराधना तहसील रायपुर जिला पाली राज.
11. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर,
12. श्री भागीरथ तेली पुत्र वावूलाल जाति तेली निवासी बर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 '92ए 188 राज. काश्त. अधि.

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा सराधना, पटवार हल्का अमरपुरा, भू. अभि. निरिक्षक क्षेत्र सेन्दडा के खसरा सं. 46 रकबा 0.0982 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल तथा खसरा सं. 47 रकबा 0.1254 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। नियमानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×.......

मीज......................×.................मुबलिक...............×.............बावत्............×............ ....×.........................को अदा करे।

......फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.05.2025 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	07	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00
मेहनताना वकील	–		
खर्चा गवाहान	–		
फीस कमिश्नर	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
मुतफरिक	–	10	00
मीजान		19	00

मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प हाजरी	–		
मेहनताना वकील पर	–		
खर्चा गवाहान	–		
फीस कमिश्नर	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	0	00
मुतफरिक			
मीजान		00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)